

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्र०/स.कु.सा./2026-27/112

दिनांक 26 मई 2026

“ अधिसूचना ”

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की संशोधित अधिसूचना पृ.क्र. एफ 03-01/2025/1/4, दिनांक 25 मई, 2026 द्वारा दिनांक 27 मई 2026 दिन बुधवार को ईदुज्जुहा के घोषित अवकाश के स्थान पर दिनांक 28 मई 2026 दिन गुरुवार को निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्ट 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अधीन सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है।

उपरोक्त संशोधित अधिसूचना के परिपालन में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के समस्त महाविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, इकाईयों में दिनांक 27 मई 2026 दिन बुधवार को ईदुज्जुहा के घोषित अवकाश के स्थान पर दिनांक 28 मई 2026 दिन गुरुवार को निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्ट 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अधीन सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है।



(ए० के० जैन)

कुलसचिव

दिनांक 26 मई 2026

पृष्ठां./क्र०/स.कु.सा./2026-27/113

- 01 माननीय कुलपति जी/कुलसचिव/लेखानियंत्रक के निज सचिव, ज०ने०कृ०वि०वि०, जबलपुर।
- 02 समस्त संचालक/अधिष्ठाता समस्त महाविद्यालय/संकाय, ज०ने०कृ०वि०वि०, जबलपुर।
- 03 समस्त विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ वैज्ञानिक/प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर, ज०ने०कृ०वि०वि०, जबलपुर।
- 04 उप-कुलसचिव/उप-लेखानियंत्रक/सहायक लेखानियंत्रक, ज०ने०कृ०वि०वि०, जबलपुर
- 05 कार्यपालन यंत्री/चिकित्सा अधिकारी/सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी/सहायक ग्रंथपाल/सहायक संचालक, कृषि प्रक्षेत्र/सुरक्षा अधिकारी, ज०ने०कृ०वि०वि०, जबलपुर।
- 06 उप-संचालक/वरिष्ठ अंकेक्षक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ज०ने०कृ०वि०वि०, जबलपुर।



(ए० के० जैन)

कुलसचिव

